प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक / मं०स० / मा०शि० / (**NOC**) अनुभाग / / 2017 दिनांक 20-06-17

विषय :— के०डी०इण्टरनेशनल स्कूल, नियाना (अमीनानाबाद), पोस्ट सलेमपुर गुर्जर, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर) को सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए विद्यालय के भू–अभिलेखो का सत्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन है कि आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के आदेश संख्या–8817–23 / पी०–ए० 2013 दिनांक 01 जनवरी, 2013 के अनुपालन में सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले विद्यालयों के भू–अभिलेखों का सत्यापन निम्न अंकित बिन्दुओं पर प्रेषित किया जाना है। अतः उक्त विद्यालय द्वारा प्रस्तुत भू–अभिलेख इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि कृपया सत्यापन आख्या में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश कराते हुए संलग्न प्रारूप पर आख्या भिजवाने का कष्ट करें।

(1) विद्यालय का भवन जिस भूमि पर बना है, उनकी माप (वर्गमीटर में)।
(2) भूमि विकास प्राधिकरण / विकास परिषद / यू०पी०एस०आई०डी०सी० से आवंटन द्वारा प्राप्त की गयी है, तो आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, पट्टा अभिलेख के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया जाय।
(3) भूमि नगर निकाय क्षेत्र में स्थित है, तो उसका प्रमाण तथा सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का स्वीकृत मानचित्र होने का उल्लेख किया जाय।
(4) भूमि विकास प्राधिकरण के अधिसूचित / विकसित क्षेत्र में है, तो भूमि किस उपयोग हेतु आरक्षित है एवं उसका खसरा नम्बर तथा खतौनी की नवीन सत्य प्रतिलिपि के साथ सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया जाय।
(5) भूमि यदि 30 वर्ष के लिए लीज पर ली गयी है, तो वह किसके नाम लीज पर ली गयी है और पंजीकरण के आधार पर किसके स्वामित्व में है।
(6) भूमि विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर होने की दशा में भूमि का भू–उपयोग उत्तर प्रदेश के सब रीजनल प्लान व एन०सी०आर० के रीजनल प्लान की गाइडलाईन के अनुसार है अथवा नहीं। (सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की जायेगी)
(7) भूमि यदि ग्रामीण क्षेत्र में है, तो भूमि से सम्बन्धित खसरा नम्बरान का विवरण व सम्बन्धित खसरा नम्बरान की खतौनी की नकल के साथ–साथ स्वामित्व का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
(8) विद्यालय भूमि के कई गाटों में होने की स्थिति में क्या गाटे आपस में सटे है।
(9) विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बने होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
(10) विद्यालय में अग्निशमन व्यवस्था होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
(11) वर्तमान भूमि / भवन पर किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय संचालित है या नही।
(12) विद्यालय का संचालन किस ट्रस्ट / सोसायटी / कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। नाम तथा पंजीकरण, नवीनीकरण की स्थिति का उल्लेख।

संलग्नक :— उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ०(महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृ०सं० / मं०स० / मा०शि० / (**NOC**) अनुभाग / 3122-24 / 2017 तद् दिनांक।

(1) प्रतिलिपि आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) प्रतिलिपि प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, के०डी०इण्टरनेशनल स्कूल, नियाना (अमीनानाबाद), पोस्ट सलेमपुर गुर्जर, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर) को इस निर्देश के साथ प्रेषित की भू–अभिलेखों के सत्यापन में राजस्व विभाग के अधिकारियों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

डॉ०(महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

19/6/17

Manager
K.D. International School
Vill. Niyana, Greater Noida(U.P.)

Principal
K.D. International School
Vill. Niyana Greater Noida (U.P.)

D:\MY DOC (H-2)\NOC\REG COM\VIL (LTR).doc/133

संख्या–12739 / मं0स0(196) / 2017

प्रेषक,

दिब्यकान्त शुक्ल,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग मेरठ दिनांक : 20–03–2018

विषय :– के0डी0इण्टरनेशनल स्कूल, नियाना (अमीनाबाद), पोस्ट–सलेमपुर गुर्जर, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर) को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1916 / 15–7–9(299) / 2007 दिनांक 14–07–2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 24–01–2018 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :–

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।

(3) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(5) फीस उन्ही मदों में चार्ज किया जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी / भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।

(6) राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की

NOC/performa/ 27

Manager

Principal
K.D. International School

सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डिन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।

(12) विद्यालय भवन के भूमिगत परिसर (Underground) में कोई शिक्षण गतिविधियां संचालित न की जायें।

(13) संस्था की वार्षिक आय–व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा–जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।

(14) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(दिव्यकान्त शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या– 12739/मं0स0 (196)/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
(2) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
(3) संयुक्त सचिव (शिक्षा–7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
(6) प्रबन्धक, के0डी0इण्टरनेशनल स्कूल, नियाना (अमीनाबाद) पोस्ट–सलेमपुर गुर्जर, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ। 20/3/18

Principal
K.D. International School
Vill. Niyana Greater Noida (U.P.)

Manager
K.D. International School
Vill. Niyana, Greater Noida(U.P.)

NOC/performa/ 28